रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27,1937

No. 243] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(विदेशी व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 300 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी व्यापार (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, —

(i) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

'(ग) "आयातकर्ता" या "निर्यातकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात करता है और जिसके पास धारा 7 के अधीन दिया गया कोड संख्यांक है ;';

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

'(घ) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत, जो इन नियमों के अधीन वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करते हों, अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

'(ङ) "नीति" से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन विरचित और घोषित विदेश व्यापार नीति अभिप्रेत है ;';

(iv) विद्यमान खंड (च) का लोप किया जाएगा और खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ञ) को क्रमश: खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4. वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने संबंधी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई लिखत अनुदत्त करने के लिए आवेदन—ऐसा कोई व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 5 और धारा 3 के अधीन क्रमश: बनाई गई नीति के उपबंधों या किए गए आदेश के अनुसार माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करते हों, अनुदत्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।"।

4. उक्त नियम के नियम 5 में,--

(i) उपनियम (1) में, "अनुज्ञप्ति के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत के संबंध में, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करते हों," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) और उपनियम (2) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "नीति" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपनियम (3) में, खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "माल" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 6 में,--

(i) शीर्ष में तथा उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करती हों," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) में, "माल" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 7 में,--

(i) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करती हों, अनुदत्त करने से इंकार किया जाना";

(ii) उपनियम (1) और उपनियम (2) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करती हों," शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (1) में,--

(क) खंड (ग) में, अंत में आने वाले, "अंतर्विष्ट है" शब्दों के पश्चात्, "या जहां कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या नीति के उपबंधों के उल्लंघन में कोई आयात या निर्यात करता है या करने का दुष्प्रेरण या प्रयास करता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) आवेदक किसी ऐसी भागीदारी फर्म में (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) भागीदार है या था अथवा किसी ऐसी स्वत्वधारी फर्म का, जिसका नियंत्रक हित है, निदेशक या उसकी कंपनी या स्वत्वधारी है या था, जिसके विरूद्ध कोई कार्रवाई अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन तत्समय लंबित है ;";

(घ) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ढ) आवेदक ने अपने द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोडधारकों को अनुज्ञेय सीमांत उत्पाद-शुल्क, शुल्क वापसी नकद प्रसुविधाएं या कोई अन्य समरूप प्रसुविधाएं, किसी मिथ्या, कपटपूर्ण या भ्रामक विवरण या किसी ऐसे दस्तावेज, जो मिथ्या या गढ़ा या बिगाड़ा हुआ है, के आधार पर अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है या अभिप्राप्त किया है या गलती से दावा किया है।";

(iv) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोडधारक को अनुज्ञेय सीमान्त उत्पाद-शुल्क, शुल्क वापसी, नकद सहायता प्रसुविधाओं या कोई अन्य समरूप प्रसुविधाओं का, उसके द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से गलती से संदाय होने की दशा में महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी, उस व्यक्ति को गलती से किए गए ऐसे संदाय के ब्यौरों के बारे में, जिसके लिए बकायों या दावों की वसूली की जानी है या जिनका समायोजन किया जाना है, उसे सूचित करते हुए लिखित सूचना देने के पश्चात् और ऐसे समय के भीतर, ज़ो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, लिए में अभ्यावेदन करने का और यदि वह व्यक्ति सुने जाने की वांछा रखता है तो सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,--

(क) भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रसुविधाओं की वसूली के ; या

(ख) अतिरिक्त दावों के समायोजन के,

कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु यह तब जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का गलती से किए गए संदाय से संबंधित तथ्यों का समाधान हो जाता है ।"।

7. उक्त नियमों के नियम 8 के शीर्ष और नियम में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 9 में,--

(i) शीर्ष तथा उपनियम (1) और उपनियम (2) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) में,--

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) कोई ऐसा **व्यक्ति**, यदि निरोध या दोषसिद्धि का कोई आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है ; या";

(ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) कोई भागीदारी फर्म (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) या कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई अन्य इकाई, यदि खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति ऐसी फर्म या कंपनी का भागीदार है या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक या स्वत्वधारी है :";

(ग) परंतुक में, "भागीदारी फर्म या कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "भागीदारी फर्म (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) या कंपनी या फर्म या किसी अन्य इकाई" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 10 में,--

(i) शीर्ष तथा खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "अनुज्ञप्तिधारी" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "अनुज्ञप्तिधारी या आबंटिती" शब्द रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"11. आयातित माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के मूल्य, मात्रा और क्वालिटी के बारे में घोषणा—किन्हीं माल के या सेवा या प्रौद्योगिकी से माल के किन्हीं सीमाशुल्क पत्तनों ने आयात करने या उनसे निर्यात करने पर, चाहे वे शुल्क के दायित्वाधीन हैं या नहीं, ऐसे माल का स्वामी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन विहित प्रवेश पत्र या पोतपत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों में अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार ऐसे माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल के मूल्य, मात्रा, क्वालिटी और वर्णन का कथन करेगा और ऐसे माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल का निर्यात करने की दशा में यह प्रमाणित करेगा कि उन दस्तावेजों में यथाकथित माल की या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल की क्वालिटी और विनिर्देश क्रेता या समनुदेशिती के साथ की गई उस निर्यात संविदा के निबंधनों के अनुसार है, जिसके अनुसरण में माल या सेवा या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे कथन की सत्यता की घोषणा ऐसे प्रवेश पत्र या पोतपत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों के पाद टिप्पण में करेगा ।"।

11. उक्त नियमों के नियम 12 में,--

(i) "किन्हीं माल" शब्दों के पश्चात्, "या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) अंत में आने वाले "आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक कथित करेगा ।" शब्दों के पश्चात्, "आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड का उपयोग करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करने का दायी होगा और तदनुसार धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति का दायी होगा ।" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

12. उक्त नियम के नियम 13 में,--

(i) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आयातित माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का उपयोग";

(ii) उपनियम (1) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनिगम खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) कोई भी व्यक्ति वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य लिखत पर अपने द्वारा आयातित किन्हीं माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल का व्ययन वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य लिखत के निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेगा अन्यथा नहीं।"

13. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (1) और उपनियम (2) में,--

(i) "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "कोई माल" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कोई माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी या ऐसी सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल" शब्द रखे जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"15. परिसर में प्रवेश करने और माल, दस्तावेजों, चीजों और प्रतिहृणों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने तथा उसका अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) किसी उचित समय पर,--

(क) किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जहां ऐसे माल या सामग्री, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें आयात या निर्यात के प्रयोजनों के लिए रखा गया है या छिपाया गया है, उनका भंडारण किया गया है या प्रसंस्करण किया गया है, विनिर्माण किया गया है, उनका व्यापार, प्रदाय किया गया है या प्राप्त किया गया है अथवा जहां ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या चीजों [जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहा गया है, के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें रखा गया है या छिपाया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जहां से ऐसी सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं या प्रौद्योगिकी या माल, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें आयात या निर्यात के प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है, उनका प्रदाय किया गया है, उन्हें प्राप्त किया गया है, उनका उपभोग या उपयोजन किया गया है या जहां ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या चीजों [जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहा गया है, के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें रखा गया है या छिपाया गया है :

परंतु खंड (ख) के उपबंध सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात की दशा में, केवल तभी लागू होंगे जब सेवा प्रदाता या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेशी व्यापार नीति के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करता है या विनिर्दिष्ट सेवाओं अथवा विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के संबंध में कार्य करता है ;

(ग) खंड (i) और खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी दरवाजे, संदूक, लाकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़कर खोल सकेगा, जहां उसकी चाबी उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो परिसर से बाहर जा रहा है या परिसर में प्रवेश करने वाला है या जो परिसर में है, यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी ऐसी किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों को [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में बनाए रखे गए दस्तावेज भी हैं] या चीजों को, जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होंगी, छिपाकर रखा हुआ है, तलाशी ले सकेगा।

(ङ) ऐसे माल या सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी से संबंधित माल, सामग्री, लेखा बहियों, दस्तावेजों या चीजों का [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] निरीक्षण कर सकेगा और उनसे ऐसे टिप्पण, प्रतियां या उद्धरण ले सकेगा जो वह ठीक समझे या किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसके कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज [जिनके अंतर्गत 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में बनाए रखे गए दस्तावेज भी हैं] यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करे।

(2) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि,--

(i) कोई आयातित माल या सामग्री या निर्यात संबंधी माल या सामग्री (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री भी है) अधिनियम के अधीन अधिहरण किए जाने की दायी है ;

(ii) कोई लेखा बहियां या दस्तावेज या चीजें [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होगी या उससे सुसंगत होंगी ;

किसी परिसर में छिपाकर रखीं गई हैं, तो वह ऐसे परिसर में ऐसे माल सामग्री [जिनके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री भी है], लेखा बहियों, दस्तावेजों या चीजों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' के लिए, जिसमें 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(3)(क) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आयातित माल या सामग्री या निर्यात के लिए माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात से संबंधित माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] इस अधिनियम के अधीन अधिहरण किए जाने की दायी है तो वह ऐसे माल या सामग्री को, पैकेज, आवेष्टक या आद्यानों सहित, यदि कोई हो, जिनमें ऐसा माल या सामग्री को किसी अन्य माल या सामग्री के साथ मिश्रित किया गया पाया जाता है, अभिगृहीत कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे किसी माल या सामग्री का भौतिक कब्जा लेना और उसे उसके परिमाण, भार या अन्य भौतिक विशिष्टताओं के कारण या उसके खतरनाक प्रकृति के होने के कारण हटाना साध्य नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी स्वामी या ऐसे व्यक्ति पर, जिसके अव्यवहित कब्जे या नियंत्रण में ऐसा आयातित माल या सामग्री या निर्यात संबंधी माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री है, इस आदेश कर तामील कर सकेगा कि वह ऐसे माल या सामग्री को प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय न तो हटाएगा, अलग करेगा और न ही उसके संबंध में व्यौहार करेगा और प्राधिकृत अधिकारी की इस खंड के अधीन की कार्रवाई ऐसी मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण किए जाने की कार्रवाई समझी जाएगी।

(ख) जहां कोई माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] का खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किया जाता है और उसके संबंध में कोई सूचना माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री के अभिग्रहण के छह मास के भीतर नहीं दी जाती है, वहां माल या सामग्री उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसके कब्जे में उन्हें अभिगृहीत किया गया था :

परंतु छह मास की पूर्वोक्त अवधि, पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, महानिदेशक द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ;

(ग) प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों या चीजों को [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है], जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगी या उससे सुसंगत होंगी, अभिगृहीत कर सकेगा ;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से कोई दस्तावेज इस उपनियम के अधीन अभिगृहीत किए जाते हैं, प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतियां बनाने या उससे उद्धरण लेने का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में बनाए रखे गए दस्तावेज भी है ;

1756 GI/15-2

(ङ) यदि कोई व्यक्ति, जो इस उपनियम के अधीन अभिगृहीत लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या चीजों का [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] विधिक रूप से हकदार है, किसी भी कारण से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखा बहियों, या दस्तावेजों या चीजों को प्रतिधारित किए जाने के विरुद्ध आक्षेप करता है, तो वह केंद्रीय सरकार को एक आवेदन कर सकेगा, जिसमें ऐसे आक्षेप के कारणों का कथन करते हुए, उन लेखा बहियों या दस्तावेजों या चीजों को लौटाने का अनुरोध कर सकेगा ;

(च) उपखंड (ङ) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(छ) जहां कोई दस्तावेज या लेखा बहियां या माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है या दिया जाता है अथवा अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या उसके नियंत्रण से अभिगृहीत किया गया है/किए गए हैं या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 11 में निर्दिष्ट किसी उल्लंघन के लिए अन्वेषण के दौरान भारत के बाहर के किसी स्थान से प्राप्त किया गया है और ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके द्वारा वह पेश किया जाता है या जिससे वह अभिगृहीत किया गया था, या ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध संयुक्ततः कार्यवाही की जाती है, साक्ष्य में दिया जाता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा करेगा कि,--

(i) ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] उस व्यक्ति (व्यक्तियों) की है ;

(ii) ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज (जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' भी है) सही है ;

(iii) ऐसे दस्तावेज के हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग, जिसका किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के, जिसके बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उचित रूप से यह धारणा कर सकेगा कि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं या वह उसके हस्तलेख में है, हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में, उसे उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था, जिसके द्वारा उसे इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया तात्पर्यित है,

(iv) दस्तावेज को इस बात के होते हुए भी ग्रहण करेगा कि इस पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगा है, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है ।

(4) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी प्रवहण या पशु का किसी ऐसे आयातित माल या सामग्री या निर्यात के लिए माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री के, जो अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है, और ऐसे परिवहन से अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किसी समय किया जाने वाला है, तो वह ऐसे प्रवहण या पशु को रोक सकेगा या वायुयान की दशा में, उसे उतरने के लिए विवश कर सकेगा, और—

(क) प्रवहण या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा ;

(ख) प्रवहण में के या पशु पर के किसी माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री की जांच कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ;

(ग) यदि किसी प्रवहण या पशु को रोकना आवश्यक हो जाता है तो वह उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन निष्फल हो जाते हैं, वहां प्रवहण या पशु पर गोली दागी जा सकेगी,

और जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों या नीति के किसी उपबंध का या वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली किसी अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत की शर्त का उल्लंघन रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह ऐसे प्रवहण या पशु का अभिग्रहण कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम में प्रवहण के प्रति किसी निर्देश का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत वायुयान, यान या जलयान के प्रति निर्देश है ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, उपनियम (1) से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसे सहायता करने हेतु केंद्रीय सरकार के किसी पुलिस अधिकारी की या किसी अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा ।"

15. उक्त नियमों के नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (ii) और खंड (iii) में,--

(क) "माल" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी या ऐसी सेवाओं और प्रौद्योगिकी से संबंधित माल" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "आयातित माल" शब्दों के स्थान पर, "आयातित माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे ।

16. उक्त नियमों के नियम 17 में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) "किन्हीं ऐसे आयातित माल या सामग्री" शब्दों के स्थान पर, "किन्हीं ऐसे आयातित माल या सामग्री या निर्यात के लिए माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात से संबंधित माल या सामग्री" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) ऐसे माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधत माल या सामग्री के विक्रय या व्ययन, आयात या निर्यात के संबंध में नीति के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का,

उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया गया है, किसी ऐसे पैकेज, आवरण या पात्र सहित, जिसमें ऐसे माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल पाए जाते हैं, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगी और जहां ऐसे माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधत माल या सामग्री को किसी अन्य माल या सामग्री के साथ इस प्रकार मिला दिया जाता है कि उन्हें तुरंत अलग नहीं किया जा सकता, वहां ऐसा माल या सामग्री भी इस प्रकार अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगी :

परंतु जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि किन्हीं ऐसे माल या सामग्री का या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री का, जो इस नियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, वैयक्तिक उपयोग के लिए आयात किया गया था, न कि किसी व्यापार या उद्योग के लिए, वहां ऐसे माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री का अधिहरण करने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा।

(ii) उपनियम (2) में, "माल या सामग्री" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री" शब्द रखे जाएंगे ।

17. उक्त नियमों के नियम 18 में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) "माल या सामग्री" शब्दों के स्थान पर, "माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "आयात किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "आयात किया गया है या निर्यात के लिए अभिप्रेत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) में, "माल या यात्रियों के परिवहन" शब्दों के स्थान पर, "माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या यात्रियों के परिवहन" शब्द रखे जाएंगे ।

18. उक्त नियमों के अंत में संलग्न अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. आई.पी.सी.4/5/640/जिल्द IX]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक विदेश व्यापार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 791(अ), तारीख 30 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Foreign Trade (Regulation) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2: —

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:

'(c) "importer" or "exporter" means a person who imports or exports goods or services or technology and holds a valid Importer-exporter Code Number granted under section 7;';

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:

'(d) "licensing authority" means an authority authorised under sub-section (2) of section 9 to grant or renew a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits under these rules;';

(iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:

'(e) "Policy" means the foreign trade policy formulated and announced by the Central Government under section 5;'

(iv) existing clause (f) shall be deleted and clauses (g), (h), (i) and (j) shall be re-lettered as clauses (f), (g), (h) and (i) respectively.

3. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:

"(4) Application for grant of licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits. — A person may make an application for the grant of a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits to import or export goods or services or technology in accordance with the provisions of the policy or an order made under sections 5 and 3 of the Act respectively."

4. In rule 5 of the said rules, —

(i) in sub-rule (1), for the word "licence", the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(ii) in sub-rules (1) and (2) for the word "Schedule" occurring at both the places, the word "Policy" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3),in clauses (b), (c) and (d), for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or services or technology" shall be substituted.

5. In rule 6 of the said rules, —

(i) in the heading and in sub-rules (1), (2) and (3),for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(ii) in sub-rules (1), (2), (3) and (4), for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or services or technology" shall be substituted.

6. In rule 7 of the said rules, —

(i) for the heading, the following shall be substituted, namely: —

"Refusal to grant licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits and recovery of benefits";

(ii) in sub-rules (1) and (2), for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (1), —

(a) in clause (c),after the word "statement" occurring at the end, the following words "or where any person makes or abets or attempts to make any export or import in contravention of any provision of the Act or any rules and orders made thereunder or the Policy" shall be added;

(b) in clause (d), for the word "goods", the words "goods or services or technology" shall be substituted;

(c) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —

"(f) the applicant is or was a partner in a partnership firm (including a limited liability partnership) or is or was a Director or a company or a proprietor of a proprietor ship firm having controlling interest against which any action is for the time being pending under the Act or rules and Orders made thereunder;";

(d) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely: —

"(n) the applicant has attempted to obtain or has obtained or has erroneously claimed Terminal Excise Duty, duty drawback, cash assistance benefits admissible to Importer-exporter Code holder or any other similar benefits from the Central Government or any agency authorised by the Central Government in relation to exports made by him on the basis of any false, fraudulent or misleading statement or any document which is false or fabricated or tampered with.";

(iv) after sub rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely;

"(3) In case of any erroneous payment of Terminal Excise Duty, duty drawback, cash assistance benefits admissible to Importer-exporter Code holder or any other similar benefits from the Central Government or any agency authorised by the Central Government in relation to exports made by him, the Director General or the licensing authority may, after giving to that person a notice in writing informing him of the details of erroneous payment for which recovery or adjustment of arrears or claims is to be made and after giving a reasonable opportunity of making a representation in writing within such time, as specified therein and, if that person so desires, of being heard, authorise:

(a) recovery of benefits as arrears of land revenue; or

(b) by adjustment against future claims

after recording reasons in writing, provided the Adjudicating Authority is satisfied with the facts relating to erroneous payment.".

7. In rule 8 of the said rules, in the heading and the rule, for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted.

8. In rule 9 of the said rules, —

(i) in the heading and in sub-rules (1) and (2),for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), —

(a) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely: —

"(a) any person, if an order of detention or conviction has been made against such person under the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) or the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) or Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);" or

(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

"(b) a partnership firm (including a limited liability partnership) or a company or a firm or any other entity, if the person referred to in clause (a) is a partner or a whole time director or managing director or a proprietor, as the case may be, of such firm or company;";

(c) in the proviso, for the words "the partnership firm or company", the words and brackets "a partnership firm (including a limited liability partnership) or company or a firm or any other entity" shall be substituted.

9. In rule 10 of the said rules, —

(i) in the heading and in clauses (a), (b) (c) and (d),for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(ii) in clauses (b), (c) and (d) for the word "licensee", wherever it occurs, the words "licensee or transferee" shall be substituted.

10. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

17565715-3

"**11. Declaration as to value, quantity and quality of imported goods or services or technology** — On the importation into, or exportation out of, any customs ports of any goods or goods connected with services or technology, whether liable to duty or not, the owner of such goods shall in the Bill of Entry or the Shipping Bill or any other documents prescribed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), state the value, quantity, quality and description of such goods or goods connected with services or technology to the best of his knowledge and belief and in case of exportation of goods or services or technology, certify that the quality and specification of the goods or goods connected with services or technology as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods or goods connected with services or technology are being exported and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or Shipping Bill or any other documents."

11. In rule 12 of the said rules, —

(i) after the words "any goods", the words "or goods connected with services or technology" shall be added;

(ii) after the words "competent authority" occurring at the end, the following words shall be added, namely:-

"Any person using someone else's Importer-exporter Code shall be held liable for violation of this rule and shall accordingly be liable for penalty under sub-section (2) of section 11."

12. In rule 13 of the said rules,-

(i) for the heading, the following shall be substituted, namely; —

"Utilisation of imported goods or services or technology";

(ii) in sub-rule (1), for the word "goods", the words "goods or services or technology" shall be substituted;

(iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) No person shall dispose of any good or goods connected with services or technology imported by him against a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits except in accordance with the terms and conditions of such licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits.".

13. In rule 14 of the said rules, in sub-rules (1) and (2), —

(i) for the word "licence", occurring at both the places, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(ii) for the words "any goods", occurring at both the places, the words "any goods or services or technology or goods connected with such services or technology" shall be substituted.

14. For rule 15 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

"15. Power to enter premises and inspect, search and seize goods, documents, things and conveyances— (1) Any person authorised by the Central Government under sub-section (1) of section 10 (hereinafter called the authorised person) may, at any reasonable time—

(a) enter and search any premises where the goods or materials which are liable to confiscation under the provisions of the Act are suspected to have been kept or concealed, stored or processed, manufactured, traded or supplied or received for the purposes of import or export or where any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), hereinafter referred to as IT Act, containing information in the form of 'electronic record' which, in his opinion, shall be useful for, or relevant to any proceedings under the Act are suspected to have been kept or concealed; or

(b) enter and search any premises from which the services or technology or goods connected with such services or technology which are liable to confiscation under the provisions of the Act, are suspected to have been provided, supplied, received, consumed or utilised for the purpose of import or export or where any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act, containing information in the form of 'electronic record] which, in his opinion, shall be useful for, or relevant to any proceedings under the Act are suspected to have been kept or concealed:

Provided that provisions of clause (b) shall be applicable, in case of import or export of services or technology, only when the service or technology provider is availing benefit under the foreign trade policy or is dealing with specified services or specified technologies;

(c) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by clauses (i) and (ii) where the keys thereof are not available;

(d) search any person who has got out of, or is about to get into, or is in the premises, if the authorised officer has reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account or documents [including documents maintained in the form of 'electronic record' as defined under the IT Act] or things which, in his opinion, shall be useful for, or relevant to any proceedings under the Act; and

(e) may inspect such goods or goods connected with services or technology, materials, books of accounts, documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] and may take such notes, copies or extracts therefrom as he may think fit or require any person who is found to be in possession or control of any books of account or other documents [including documents maintained in the form of 'electronic record], to afford the authorised officer the necessary facility to inspect such books of account or other documents.

(2) If the authorised person has reasons to believe that —

(i) any imported goods or materials or goods or material for export (including goods or materials connected with services or technology) are liable to confiscation under the Act; or

(ii) any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] which, in his opinion, will be useful for or relevant to, any proceedings under the Act,

are secreted in any premises, he may enter into and search such premises for such goods, materials (including goods or materials connected with services or technology), books of accounts, documents or things or 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'.

(3) (a) If the authorised person has reason to believe that any imported goods or materials or goods or materials for export or goods or materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] connected with import or export of services or technology are liable to confiscation under the Act, he may seize such goods or materials together with the package, covering or receptacle, if any, in which such goods or materials are found to have been mixed with any other goods or materials :

Provided that where it is not practicable to take physical possession of any such goods or materials and remove it to a safe place due to its volume, weight or other physical characteristics or due to its being of a dangerous nature, the authorised officer may serve an order on the owner or the person who is in immediate possession or control of such imported goods or materials or goods or materials for export or goods or materials connected with import or export of services or technology that he shall not remove, part with or otherwise deal with such goods or materials, except with the previous permission of the authorised officer and action of the authorised officer shall be deemed to be seizure of such valuable article or thing under this clause;

(b) where any goods or materials or goods or materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] connected with services or technology are seized under clause (a) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods or materials or goods or materials connected with services or technology, the goods or materials shall be returned to the person from whose possession they were seized:

Provided that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Director General for a further period not exceeding six months;

(c) the authorised person may seize any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] which in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act;

(d) the person from whose custody any documents are seized under this sub-rule, shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of the authorised person including documents maintained in the form of 'electronic record' as defined under the IT Act;

(e) if any person legally entitled to the books of account or other documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act] seized under this sub-rule objects, for any reason, to the retention by the authorised person of the books of account or the documents or things, he may move an application to the Central Government stating therein the reasons for such objection, request for the return of the books of account or documents or things;

(f) on receipt of the application under clause (e), the Central Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such order as it may think fit;

(g) where any document or book of accounts or goods or materials[including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] is/are produced or furnished by any person or have been seized from the custody or control of any person under the Act or have been received from any place outside India in the course of the investigation for any contravention referred to in section 11 by any person and

such document is tendered in evidence against the person by whom it is produced or from whom it was seized or against such person or any other person who is jointly proceeded against, the Adjudicating Authority shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, presume, unless the contrary is proved –

(i) that such books of account, other documents, goods and materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] belong to or belongs to such person(s);

(ii) that the contents of such books of account and other documents[including 'electronic record' as defined under the IT Act] are true ;

(iii) that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person of which the Adjudicating Authority may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person, is under the person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested; and

(iv) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

(4) The authorised person, may, if he has reason to suspect that any conveyance or animal is being or is about to be used for the transportation of any imported goods or material or goods or materials for export or goods or material connected with services or technology which are liable to confiscation under the Act, and that by such transportation any provision of the Act has been, is being or is about to be contravened at any time, stop such conveyance or animal or in the case of aircraft compel it to land, and —

(a) rummage and search the conveyance or any part thereof;

(b) examine and search any goods or material or goods or materials connected with services or technology in the conveyance or on the animal;

(c) if it becomes necessary to stop any conveyance or animal, he may use all lawful means for stopping it and where such means fail, the conveyance or animal may be fired upon,

and where he is satisfied that it is necessary so to do to prevent the contravention of any provision of the Act or of the rules and orders made thereunder or the Policy or condition of any licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits, he may seize such conveyance or animal.

Explanation – Any reference in this rule to a conveyance shall, unless the context otherwise requires, be construed as including a reference to an aircraft, vehicle or vessel.

(5) The authorised officer may requisition the services of any police officer or of any officer of the Central Government, or of both, to assist him for all or any of the purposes specified in sub-rules (1) to (4) and it shall be the duty of every such officer to comply with such requisition.

15. In rule 16 of the said rules,-in sub-rule (1), in clauses (ii) and (iii),

(a) for the word "goods", occurring at both the places, the words "goods or services or technology or goods connected with such services and technology" shall be substituted;

(b) for the words "imported goods", occurring at the end of both the places, the words "imported goods or services or technology" shall be substituted.

16. In rule 17 of the said rules, –

(i) in sub-rule (1),-

(a) for the words "Any imported goods or materials", the words "Any imported goods or materials or goods or materials for export or goods or materials connected with import or export of services or technology" shall be substituted;

(b) in clause (a), for the word "licence", the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) any condition imposed under the Policy with regard to the sale, disposal, import or export of such goods or materials or goods or materials connected with services or technology;

has been, is being, or is attempted to be contravened, shall together with any package, covering or receptacle in which such goods or goods connected with services or technology are found, be liable to the confiscated by the Adjudicating Authority, and where such goods or materials or goods or materials connected with services or technology are so mixed with any other goods or materials that they cannot be readily separated, such other goods or materials shall also be liable to be so confiscated:

Provided that where it is established to the satisfaction of the Adjudicating Authority that any goods or materials or goods or materials connected with services or technology which are liable to confiscation under this rule, had been imported for personal use, and not for any trade or industry, such goods or materials or goods or materials connected with services or technology shall not be ordered to be confiscated.";

(ii) in sub-rule (2), for the words "goods or materials", occurring at both the places, the words "goods or materials or goods connected with services or technology" shall be substituted.

17. In rule 18 of the said rules;-

(i) in sub-rule (1),

(a) for the words "goods or materials", the words "goods or materials or goods or materials connected with services or technology" shall be substituted;

(b) for the word "imported", the words "imported or meant for export" shall be substituted;

(ii) in sub rule (2), for the words " transport of goods", the words "transport of goods or goods connected with services or technology" shall be substituted.

18. In the said rules, the schedule appended at the end shall be deleted.

[F. No. IPC/4/5/640/Vol.IX]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R.791 (E), dated the 30th December, 1993.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.